प्रेस विज्ञप्ति

06/12/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 05.12.2024 को एक एनजीओ "मेसर्स उद्गम सेवा समिति" के लाभार्थी मालिक और सचिव मनोज कुमार द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। मनोज कुमार द्विवेदी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 09-12-2024 तक 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

डीएमएफ घोटाला छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि से धन के उपयोग में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ईडी ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके डीएमएफ ठेकेदारों द्वारा सरकारी खजाने के पैसे की हेराफेरी करने के लिए आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज 03 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ठेकेदारों ने अधिकारियों को भारी मात्रा में कमीशन/अवैध रिश्वत का भुगतान किया है, जो अनुबंध मूल्य का 15% से 42% तक है।

ईडी की जांच में पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में मनोज कुमार द्विवेदी ने श्रीमती रानू साहू, आईएएस और अन्य अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अपने एनजीओ मेसर्स उदगम सेवा समिति के नाम पर कई डीएमएफ ठेके धोखाधड़ी से हासिल किए थे। मनोज कुमार द्विवेदी ने डीएमएफ ठेकों को अपने एनजीओ को दिलाने के लिए सरकारी अधिकारियों को अनुबंध मूल्य का 42% तक कमीशन दिया था। इसके अलावा, रिश्वत की रकम का भुगतान करने के लिए, उन्होंने माल/सेवा की फर्जी खरीद के रूप में आवास प्रविष्टियां प्राप्त करने में खुद को शामिल किया था। इस तरह, मनोज कुमार द्विवेदी ने आवास प्रविष्टि प्रदाताओं की मदद से डीएमएफ फंड की हेराफेरी करके 17.79 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी अर्जित की, जिसमें से 6.57 करोड़ रुपए उसने अपने पास रख लिए और बाकी रकम सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत के तौर पर दे दी।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि मनोज द्विवेदी न केवल डीएमएफ के ठेके पाने के लिए जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों से सांठगांठ कर रहा था, बल्कि वह डीएमएफ के तहत काम करने वाले अन्य विक्रेताओं से रिश्वत की रकम वसूलने में उनकी, खास तौर पर आईएएस रानू साहू और माया वारियर की मदद भी कर रहा था।

इससे पहले ईडी ने मामले में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, 2.32 करोड़ रुपए मूल्य के नकदी और बैंक बैलेंस, आभूषण आदि जब्त किए गए थे। मनोज कुमार द्विवेदी को डीएमएफ घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहले दो लोगों आईएएस रानू साहू और छत्तीसगढ़ राज्य सेवा अधिकारी माया वारियर को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।